न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी-(मांगी लाल) RAS

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 88, 53 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्या- 086/2018 (नया), 118/2001 (पुराना)

1 लालचन्द पुत्र मायाराम दत्तक पुत्र रामचन्द्र जाति जाट, साकिन बहलोलनगर, तहसील व जिला हनुमानगढ

2 विजयपाल पुत्र लालचंद जाति जाट निवासी बहलोलनगर तहसील व जिला हनुमानगढ

3 नरेन्द्र कुमार पुत्र लालचंद जाति जाट निवासी बहलोलनगर तहसील व जिला हनुमानगढ

-वादीगण

बनाम

1 रामचन्द्र पुत्र श्री केसुराम (मृतक)

1/1 सिणगा धर्मपत्नी स्व. रामचन्द्र (मृतक-लावल्द)

2 महावीर पुत्र जसवंत जाति जाट निवासी बहलोलनगर तहसील व जिला हनुमानगढ

3 राजेश पुत्र जसवंत जाति जाट निवासी बहलोलनगर तहसील व जिला हनुमानगढ

4 स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ

-प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री लालचंद वर्मा - अधिवक्ता वादी सं. 1
2. सुश्री संदीप कौर - अधिवक्ता वादी सं. 2, 3
3. श्री श्योप्रकाश जाखड़ - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2, 3
4. राज पैरोकार प्रतिवादी सं. 4

-:निर्णय:-

दिनांक 27.03.2025

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि तहसील हनुमानगढ़ के चक 41 एस.एस.डब्ल्यू. प.न. 73/309 कि.न. 1, 10, प.न. 75/312 कि.न. 21, प.न. 73/312 कि.न. 25, प.न. 73/312 कि.न. 5, प.न. 74/313 कि.न. 1 से 15, 17 से 21, प.न. 75/313 कि.न. 1, 10, 11, प.न. 74/314 कि.न. 4, 7 से 9, 12 से 14, 16 से 19 22 से 25 कुल 10.879 हैक्टेयर यानि 43 बीघा मुमकिन व गैर मुमकिन दर्ज कागजात माल पटवारी वादी व प्रतिवादीगण के मुश्तरका खाता की आराजी है जमाबन्दी सम्वत 2057 हमराह पेश है,।

यह कि चक 43 एस.एस.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 72/309 कि.न. 6-7-8 कुल 0.759 हैक्टेयर यानि 3 बीघा आराजी प्रतिवादी संख्या 1 स्व रामचन्द्र के नाम से दर्ज कागजात माल पटवार थी जमाबन्दी सम्वत 2052 हमराह पेश है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 स्व श्री रामचन्द्र ने आराजी चक 16 एस.टी.जी. प.न. 72/306 कि.न. 1, 2, 9 ता [illegible] प.न. [illegible] कि.न. 21 कुल 6 बीघा मुमकिन गैरमुमकिन वादी को जरिये बैयनामा प्रतिवादी संख्या 1 स्व रामचन्द्र ने हस्तान्तरित कर दी जिसका राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो चुका है। जमाबन्दी सम्वत 2058 पेश है।

यह कि उक्त तीनों चकों की 52 बीघा 5 बिस्वा आराजी प्रतिवादी संख्या 1 स्व रामचन्द्र को अपने पिता से औद हुई, जो जददी जायदाद है। प्रतिवादी संख्या-1 स्व. रामचन्द्र चक 41 एस.एस.डब्ल्यू. की 26 बीघा आराजी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 को बैय कर चुका है व इसी प्रकार चक 16 एस.टी.जी. की 6 बीघा आराजी कुल 32 बीघा आराजी प्रतिवादी संख्या 1 स्व. श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 17:19:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

[illegible] द्वारा जरिये बैयनामा हस्तान्तरित कर चुका है जिसमें वादी का हक हिस्सा भी प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा बेच दिया गया। वादी का इस आराजी में 26 बीघा का हक बनता है जिसे वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। जमाबन्दी सम्वत 2057-2058 संलग्न है।

यह कि वादी को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा काफी अर्से से गोद (खोला) लिया हुआ है। इस प्रकार वादी प्रतिवादी संख्या 1 का दत्तक पुत्र है। खोलानामा दस्तावेज रस्म व लिखापढ़ी कई वर्ष पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 ने पूर्ण कर ली थी। प्रतिवादी संख्या 1 की कोई ओर औलाद नही है। वादी खोलायत पुत्र होने पर प्रतिवादी संख्या 1 की जद्दी जायदाद में बराबर का हिस्सा बनता है। उक्त आराजी को प्राप्त करने का वादी का जन्म सिद्ध अधिकार है।

यह कि वादी हक हिस्सा व कब्जा काश्त की आराजी इस प्रकार है- चक 43 एस.एस. डब्ल्यू, प.न. 72/309 कि.न. 6 से 8 तादादी 03.00 बीघा, चक 41 एस.एस.डब्ल्यू, प.न. 73/309 कि.न. 1, 10 तादादी 02.00 बीघा, प.न. 74/314 कि.न. 4, 7 से 9, 12 से 14, 16 से 19, 22 से 25 तादादी 15.00 बीघा महाकुल 20.00 बीघा कृषि भूमि।

यह कि मुस्तरका खाता की आराजी होने के कारण सींवबट को लेकर पक्षकारान में तकरारात रहता है। मुस्तरका खाता की आराजी रहना अब सम्भव नही है।

यह कि वादपत्र खाता तकसीम का होने से प्रतिवादी संख्या 6 को तकमीलन पक्षकार बनाया गया है जिसके खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा है।

यह कि उक्त तीनों चकों की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के पिता से प्राप्त होने के कारण वादी की जद्दी जायदाद है। जद्दी जायदाद में वादी का कुल सम्पति आराजी में बराबर का हक हिस्सा बनता है जो वादी प्राप्त करने का अधिकारी है व इसी आशय के वादी इस्तकरार हक व तकसीम खाता आराजी करवाने का अधिकारी है।

यह कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के हक हिस्सा की आराजी को अन्यत्र हस्तान्तरित न करने व बराबर का हिस्सा घोषित करवाने हेतु व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 को खाता तकसीम करने हेतु कहा तो दिनांक 16-11-2001 को मुकाम बहलोलनगर में साफ इन्कार हो गये। बस यही बिनाय मुखास्मत है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का खोलायत पिता है, के मन में आपसी मनमुटाव रहने के कारण वादी के हक हिस्सा की आराजी को किसी अन्यत्र व्यक्ति के कहने पर हस्तान्तरित करने को तत्पर है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 विवादग्रस्त आराजी को हस्तान्तरित या बैय कर देता है तो वादी अपने हक से महरूम हो जायेगा तथा वादी के अधिकारों से साथ कुठाराघात होगा।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 स्व रामचन्द्र का दौराने दावा दिनांक 11-02-2002 को देहान्त हो गया। प्रतिवादी संख्या 1 निर्वसीयती फौत नहीं हुये है बल्कि उन्होंने अपनी समस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 04-08-1983 को एक वसीयतनामा निष्पादित कर व दिनांक 06-08-1983 को पंजीकृत करवाते हुये वादी को अपना वसीयती उतराधिकारी नियुक्त किया है। इस वसीयत के आधार पर भी वादी प्रश्नगत भूमि का एक मात्र दावेदार है। स्व रामचन्द्र के देहान्त उपरान्त प्रतिवादिया संख्या 1/1 वादी को इस वसीयत के आधार पर नीहित वैद्य अधिकार से इन्कार कर रही है तथा प्रश्नगत भूमि में कतई गलत व विधि विरुद्ध रूप से अपना हित होना व्यक्त कर इस भूमि को अन्य व्यक्तियों को बैय व मुन्तकिल करने व वादी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करने की धमकी दे रही है। इस कारण वादी इस वसीयत के आधार पर भी प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्रप्त करने का अधिकारी व दावेदार है।

यह कि वादपत्र वादी इस्तकरार हक व तकसीम खाता का है। इसलिए 2/- रूपये की कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अन्दर मियाद व समायत अदालतवाला है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 17:19:43 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा संशोधित वादपत्र वादी पेश कर अर्ज है कि वादपत्र बाद तहकीकात बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे-

करार दिया जावे कि वादपत्र की दफा 6 में दर्ज आराजी को वादी के हक में घोषित किया जावे।

कि प्रतिवादिया संख्या 1/1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वह प्रश्नगत कृषि भूमि चक 43 एस.एस.डब्ल्यू. प.न. 72/309 कि.न. 6 से 8 व चक 41 एस.एस. डब्ल्यू. प.न. 73/309 के कि.न. 1, 10, प.न. 74/314 कि.न. 4, 7 से 9, 12 से 14, 16 से 19, 22 से 25 कुल 20 बीघा भूमि को किसी भी अन्य व्यक्ति को रहन बैय व मुन्तकिल नही करे व वादी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नही करें तथा राजस्व अभिलेख की स्थिति में कोई परिवर्तन नही करे।

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। हस्तगत वाद पत्र दिनांक 12.04.2018 को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के प्र. स. 157/2009 अनवानी लिछमा पत्नी रामचन्द्र बनाम लालचंद आदि अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय हाजा उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ प्र.स. 118/2001 अनवानी लालचंद बनाम रामचन्द्र आदि में पारीत निर्णय दिनांक 23.03.2002 को माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 28.02.2018 द्वारा अपास्तगी व निर्देशानुसार बाजवा नंबर 086/2018 पर दर्ज करते हुए सुनवाई हेतु पेश हुआ। इस न्यायालय द्वारा पारीत प्र.स. 118/2001 अनवानी लालचंद बनाम रामचन्द्र आदि में निर्णय दिनांक 23.03.2002 जिसमें प्रतिवादी सं. रामचन्द्र जरिये अधिवक्ता रणजीत सिंह चहल उपस्थित होकर दौराने दावा प्रतिवादी सं. 1 का निधन होने के कारण वाद से नाम विलोपित किया गया। प्रतिवादी सं. 2 ता 5 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर, प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जिवित समय में प्रस्तुत जवाब दावा सहमति पेश होने के कारण वादी की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर वाद पत्र डिक्री किया गया था। वर्तमान वाद सं. 86/2018 पर संयोजित प्रतिवादी सं. 2, 3 क्रमशः महावीर-राजेश पि. जसवंत द्वारा दिनांक 16.10.2019 को संसोधित जवाब दावा पेश कर वाद पत्र डिक्री किये जाने पर अनापति जाहिर की है। प्रतिवादी सं. 1 फौत हो चुका है जिसका खोलायत पुत्र वादी लालचंद प्रस्तुत दस्तावेजो से साबित है। प्रतिवादी सं. 1 रामचन्द्र की पत्नी लिछमा जो इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.03.2002 से व्यथित होकर माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में अपील दायर की थी, पत्रावली मौजूद दस्तावेजों अनुसार वर्तमान में जिवित नहीं है। बहलोलनगर की शामिल मिसल बन्दोबस्त की प्रमाणित प्रति प्रदश 4 दिनांक 16.7.2024 से प्रश्नगत आराजी प्रतिवादी सं. 1 रामचन्द्र के पिता केसू के नाम दर्ज है। प्रतिवादी सं. 1 का वादी सं. 1 के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा प्रदशः 6ए से साबित है। नया वाद प्रस्तुत होने के बाद प्रार्थी हितेश खोलायत पुत्र लिछमा पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी वार्ड 22 हनुमानगढ जंक्शन द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 13.03.2019 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4-5 व आदेश 1 नियम 10 व 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया लिछमा का नाम कलमजन करने का न्यायालय द्वारा आद्रेश पारीत किया गया है जबकि प्रार्थी लिछमा का [illegible] लिछमा के स्थान पर वाद शीर्षक में प्रतिस्थापित होने का अधिकारी है। उक्त [illegible] पर अधिवक्ता वादी ने एजराज जाहिर किया। प्रार्थी हितेश दत्तक पुत्र लिछमा [illegible] .2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 141 सीपीसी पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 13.03. 2019 को प्रत्याहारित कर नोटप्रेस में खारिज किये जाने का निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता वादी के नो-ऑब्जेक्शन के आधार पर प्रार्थना पत्र नोटप्रेस में खारिज किया गया। वाद पत्र पेश होने के बाद बदली हुई परिवार की स्थितियों अनुसार वादी सं. 1 एकमात्र प्रतिवादी सं. 1 रामचन्द्र का वारिस बचता है। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने कथन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 17:19:43 IST
Reason: SelfAttested

है कि प्रस्तुत अभिलेख से वादी का गोद आना साबित है, खाता मुश्तरका अभिलेख में होना साबित है। अतः वादी सं. 1 की कब्जाकाश्त शुदा 20 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित कर चक 41 एसएसडब्ल्यू की भूमि जो मुश्तरका खाता में है से वादी का खाता अलग कर रकमराज अलग कायम किया जावे।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 28.02.2018 द्वारा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि अपीलांट लिछमा को पक्षकार संयोजित किया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारीत किया जावे। चूंकि प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दिनांक 09.01.2019 प्रार्थी लालचंद अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4ए सीपीसी जिसमें अपीलांट लिछमा का दिनांक 19.10.2018 को निधन हो गया है का अंकन किया है। प्रार्थी हितेश दत्तक पुत्र लिछमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उक्त वर्णित नोटप्रेस में खारिज करवाया जा चुका है। पूर्व वाद पत्र में संयोजित प्रतिवादी विजय-नरेन्द्र पि. रामचन्द्र हस्तगत वाद पत्र में वादी पक्ष की ओर से संयोजित वाद हो चुके है। अतः पत्रावली में कोई विरोधाभास प्रतीत नहीं होता है। वादी की ओर से शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जा चुका है। हस्तगत वाद में प्रतिवादी सं. 1 रामचन्द्र द्वारा निष्पादित प्रदश 6ए वसीयतनामा तैयार कर्ता श्री रामवतार शर्मा की साक्ष्य पीडब्ल्यू-2 जरिये नियुक्त कमीश्नर अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार दिनांक 16.12.2024 लेखबद्ध करवाई जा चुकी है। प्रार्थी लालचंद जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र दिनांक 12.3.2025 पेश कर अर्ज किया है कि वाद पत्र में याचित 20 बीघा भूमि में वादी सं. 1 को 7 बीघा व वादी सं. 2, 3 को 13 बीघा ब.हि.ब घोषित किये जाने में अनापति जाहिर की है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपलब्ध दस्तावेजों व वसियतनामा के आधार पर वाद, वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः वाद वादीगण निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है किः- चक 43 एस.एस. डब्ल्यू. प.न. 72/309 कि.न. 6 से 8 कुल 3 बीघा व चक 41 एस.एस.डब्ल्यू प.न. 74/314 मु.न. 35 कि.न. 16, 17, 24, 25 कुल 4 बीघा महाकुल 7 बीघा आराजी का वादी सं. 1 लालचंद को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार 41 एसएसडबल्यू प.न. 73/309 मु.न. 7 कि.न. 1, 10 कुल 2 बीघा व प.न. 74/314 मु.न. 35 कि.न. 4, 7 से 9, 12 से 14, 18 से 19, 22 से 23 महाकुल 3.289 हैक्टेयर का वादी सं. 2, 3 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जात है। इसी अनुसार खाता अलग कर रकमराज अलग कायमी के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 17:19:43 IST
Reason: Self Attested

(मांगी लाल)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ